न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 551 सन 2017
अनवान :–

1. मनोज कुमार 2 सुनील कुमार पि0 कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सरोज पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल आबाद जमाल तहसील व जिला सिरसा
3. एमजीबी ग्रामीण बैक शाखा टोपरिया तहसील नोहर जरिये शाखा प्रबन्धक
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित : श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 12/2/2018

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,, आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 33/29 के खसरा न0 466/394 की 2.5930हैक, खसरा न0 467/393 की 6.1710हैक खसरा न0 469/394 की 1.5180हैक कुल 10.2820हैक भूमि मे से 1/2 हिस्सा एवं खाता संख्या 34/30 खसरा न0 180/4 की 6.3230हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पूर्व में वादीगण के दादा सुरजाराम पुत्र श्योजीराम के नाम से दर्ज थी सुरजाराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि उसके पुत्रों कृष्ण कुमार व साहबराम पर बहिब औद हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई जिसके कारण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है जिसने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों /पिता के पक्ष में त्याग कर दिया है अब वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वाद भूमि में वादी का हक हिस्सा तस्लीम कर लेवे एव वादीगण को बहिब काश्तकार होना स्वीकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावें।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का मेरे साथ बहिब का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो वादीगण की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो/पिता के पक्ष में त्याग कर दिया है वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों की ताईद में इकबालदावा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया जाकर वकील वादी को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की वाद भूमि भूमि पूर्व में वादीगण के दादा सुरजाराम पुत्र श्योजीराम के नाम से दर्ज थी सुरजाराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि उसके पुत्रों कृष्ण कुमार व साहबराम पर बहिब औद हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई जिसके कारण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है जिसने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों /पिता के पक्ष में त्याग कर दिया है अब वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार कर लिया है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने भी निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इस प्रकार वादीगण के वाद के सम्बध में प्रतिवादीगण की सहमति पेश हो चुकी है वादीगण वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा सुरजाराम पुत्र श्योजीराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने पर विरास्तन से उसके दो पुत्रो कृष्ण कुमार व साहबराम पर विरास्तन से औद हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक सम्पति होना साबित है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी की

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 जो वादीगण की बहन है प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा का त्याग किया जा चुका है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है एवं निवेदन भी किया गय है कि वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा अपने हको का तर्क/त्याग करने के कारण राज्यहकों को सुरक्षित रखने के मध्य रखते हुए स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

वाद में समझौता का प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 3 में है इस न्यायालय को समाधानप्रद साबित हो चुका है कि इस वाद में पक्षकारान द्वारा समझौता लिखित में हो चुका है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की तुष्टि हो चुकी है अत : वाद की विषय वस्तु अनुसार डिक्री पारित की जा सकती है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों /प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की सहमति के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 33/29 के खसरा न0 466/391 की 2.5930हैक , खसरा न0 467/393 की 6.1770हैक , खसरा न0 469/394 की 1.5180हैक कुल 10.280हैक में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है। व खाता संख्या 34/30 के खसरा न0 180/4 क 6.3230हैक में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिबि के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– अखरे रूपये पांच हजार का सटाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/2/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

S.Zaidi

(सैयद शीराज अली जैदी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. मनोज कुमार 2 सुनील कुमार पि0 कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 कृष्ण कुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सरोज पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल आबाद जमाल तहसील व जिला सिरसा
3. एमजीबी ग्रामीण बैक शाखा टोपरिया तहसील नोहर जरिये शाखा प्रबन्धक
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 551 सन 2017 निर्णय दिनांक 12/2/18

आज यह वाद मुझ पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष श्री विजय सिह कडवासरा अधिवक्ता वादी तथा पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की सहमति के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती हैरोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 33/29 के खसरा न0 466/391 की 2.5930हैक , खसरा न0 467/393 की 6.1770हैक , खसरा न0 469/394 की 1.5180हैक कुल 10.280हैक में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है। व खाता संख्या 34/30 के खसरा न0 180/4 क 6.3230हैक में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिबि के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– अखरे रूपये पांच हजार का सटाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/2/18 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से में जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर